(4)

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
Office of the Director of Census Operations, Bihar
बिहार राज्य सहाकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल, अशोक राजपथ पटना – 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Building, 2nd Floor, Ashok Rajpath, Patna-800004
दूरभाष: 0612–2675929 / 2675672 दूरभाष एवं फैक्स: 0612–2675049 / ई–मेल:dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

पत्रांक–जे. 11015 / 04 / 2012 (NPR)–पार्ट–VII दिनांक–

परिपत्र संख्या–5

प्रेषक,

पी० के० चौधरी
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारी–सह–
जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) एवं नगर आयुक्त
–सह–ज़िला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन), नगर निगम, पटना।

विषयः–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री हेतु प्रगणकों / पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं जिला स्तर पर सेवाप्रदाता के चयन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जनगणना निदेशालय बिहार, पटना द्वारा आपकों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने से संबंधित कार्यों की जानकारी एवं सफल संचालन हेतु अब तक कुल 4 परिपत्र जारी किये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :–

01. परिपत्र संख्या–1 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन करने एवं आधार नम्बर को एन.पी.आर डाटाबेस में सम्मलित करने के संबंध में।
02. परिपत्र संख्या–2 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन एवं एन.पी. आर डाटाबेस में आधार संख्यांक को सम्मलित करने के कार्य हेतु प्रशिक्षण तथा प्रगणकों के नियुक्ति के संबंध में।
03. परिपत्र संख्या–3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) के सार पत्रकों को अपलोड करने एवं रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबंध में।
04. परिपत्र संख्या–4 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटा बेस को अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किये जाने के पश्चात डाटा इंट्री कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से एक साफ्टवेयर एवं मेन्युअल निर्मित किया गया है जिसे प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना को प्रेषित किया जा चुका है और यह साफ्टवेयर एवं मेन्युअल npr-rgi.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्य के संबंध में आगामी कार्यवाई निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है:–

01. कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आपके जिले में समेकित गणना ब्लॉक सार की डाटा इंट्री का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया गया है। यदि आपके जिले में उपरोक्त कार्य पूर्ण न किया गया हो तो आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाये।

02. सेवा प्रदाता के चयन हेतु जिला अथवा राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा हेतु तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specifications) को npr-rgi.nic.in बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु Installation Instructions & Steps की छायाप्रति संलग्न।

03. डाटा इंट्री कार्य को 90 दिनों में समाप्त किया जाना है एवं एक प्रगणक खंड का कार्य 3 दिनों में समाप्त किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित किया जाय।

04. सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि वह सभी प्रकार का हार्डवेयर एवं कार्य करने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी मैनपावर एवं ऑपरेटर उपलब्ध करायें।

05. सेवा प्रदाता को भुगतान प्रति रिकॉर्ड के आधार किया जायेगा। एक रिकॉर्ड का अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत दर्ज संपूर्ण सूचना है।

06. जिलावार आवश्यक पर्यवेक्षकों की अनुमानित संख्या इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

07. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में समस्त ग्रामीण/नगरीय/नगर पालिका निगम के उप जिला रजिस्ट्रार, जिला सूचना अधिकारी, पर्यवेक्षक (शासकीय कर्मचारी), सेवा प्रदाता (Vendor) एवं उनके द्वारा चयनित ऑपरेटर तथा सहयोगी पर्यवेक्षण टीम की उपस्थिति अनिवार्य है।

08. प्रशिक्षण स्थल पर निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करना प्रस्तावित है:–

(i) एक हॉल जिसमें लगभग 40–50 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा हो।

(ii) प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन।

(iii) दो कम्प्यूटर (Same network / LAN with internet facility)।

09. निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण की तिथियों एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों की सूची निर्धारित की जा रही है एवं शीघ्र ही इस संबंध में अलग से सूचना दी जायेगी।

10. डाटा इंट्री कार्य में जिला सूचना केन्द्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु निदेशालय से निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार, पटना से राज्य स्तर पर समन्वयक नियुक्त करने एवं प्रत्येक जिले में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C) के जिला सूचना अधिकारी को भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

11. जिला सूचना अधिकारी को यह भी निदेशित करें कि डाटा इंट्री कार्य प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाता (Vendor) द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों में सॉफ्टवेयर के अनुसार Configuration (सूची संलग्न) उपलब्ध है या नहीं।

12. डाटा इंट्री का कार्य ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन दोनों प्रकार की प्रवृतियों से किया जा सकता है, परन्तु यह उपयुक्त होगा कि यह कार्य ऑन लाईन पद्वति से ही किया जाये।